

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 259 सन 2021

अनवान :-

1. अभय कुमार गोदारा पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विमला मांजू पुत्री गोपीराम पत्नी हुणताराम मांजू जाति जाट निवासी राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
4. कान्ता मांजू पुत्री गोपीराम पत्नी अमरसिंह मांजू जाति जाट निवासी राजगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/6/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 216/208 की कुल 1.5680 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्तिदेवी व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 134/106 की कुल 2.0240 हैक् भूमि वादी की मृतक दादा गोपीराम व खाता संख्या 555/466 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम एवं रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 103/95 की कुल 3.7950 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी की मृतक दादी के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है खाता संख्या 173/153 की कुल 1.3790 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम व रोही मौजा चक 2 केएसएन के खाता संख्या 84/82 की कुल 0.2530 हैक् वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम तथा खाता संख्या 85/65 की कुल 2.2770 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक दादी शान्ति के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी व दादा गोपीराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी शान्ति एवं गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है जो मृतक शान्ति व गोपीराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 जो वादी का पिता/बुआ व दादी शान्ति व दादा गोपीराम है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन

किया की वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की दादी शान्ति व दादा गोपीराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी शान्ति व दादा गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मृतक शान्ति व गोपीराम की भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 बी बाराणी के खाता संख्या 216/208 की कुल 1.5680 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्तिदेवी व रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 134/106 की कुल 2.0240 हैक् भूमि वादी की मृतक दादा गोपीराम व खाता संख्या 555/466 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम एवं रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 103/95 की कुल 3.7950 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी की मृतक दादी के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है खाता संख्या 173/153 की कुल 1.3790 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 84/82 की कुल 0.2530 हैक् वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम तथा खाता संख्या 85/65 की कुल 2.2770 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक दादी शान्ति के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी व दादा गोपीराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी शान्ति एवं गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है जो मृतक शान्ति व गोपीराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 बी बाराणी के खाता संख्या 216/208 की कुल 1.5680 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्तिदेवी व रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 134/106 की कुल 2.0240 हैक् भूमि वादी की मृतक दादा गोपीराम व खाता संख्या 555/466 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम एवं रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 103/95 की कुल 3.7950 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी की मृतक दादी के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है खाता संख्या 173/153 की कुल 1.3790 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 84/82 की कुल 0.2530 हैक् वादी की मृतक दादी शान्ति के नाम तथा खाता संख्या

85/65 की कुल 2.2770 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक दादी शान्ति के नाम से दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व वादी की मृतक दादी व मृतक दादा के नाम से दर्ज है वादी की दादी व दादा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मृतक शान्ति व गोपीराम की भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चक 3 बारानी के खाता संख्या 555/466 की कुल 1.0120 है व रोही मौजा चक 2 के एनएन के खाता संख्या 84/82 की कुल 0.2530 है में मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व चक 2 के एनएन के खाता संख्या 85/65 की कुल 2.2770 है व भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 173/153 की कुल 1.3790 है व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 216/208 की कुल 1.5680 है व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 134/106 की कुल 2.0240 है व गोपीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 103/95 की कुल 3.7950 है व में से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को (पूर्व हिस्से सहित) खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे । यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे । इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/6/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अभय कुमार गोदारा पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विमला मांजू पुत्री गोपीराम पत्नी हुणताराम मांजू जाति जाट निवासी राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
4. कान्ता मांजू पुत्री गोपीराम पत्नी अमरसिंह मांजू जाति जाट निवासी राजगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक- 16/04/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चक 3 बारानी के खाता संख्या 555/466 की कुल 1.0120 है व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 84/82 की कुल 0.2530 है में मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व चक 2 केएनएन के खाता संख्या 85/65 की कुल 2.2770 है व भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 173/153 की कुल 1.3790 है व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 216/208 की कुल 1.5680 है व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 134/106 की कुल 2.0240 है व गोपीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 103/95 की कुल 3.7950 है व से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक शान्ति का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को (पूर्व हिस्से सहित) खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर